दिनांक 22/2/2019

पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित है।
बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गयी।
प्रार्थी बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थिया का
कथन है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थिया के नाना
की भूमि है, जिस पर प्रार्थिया के नाना की मृत्यु
के उपरान्त प्रार्थिया की माँ फूलांबाई का नाम
दर्ज नहीं किया गया। अकेले प्रार्थिया की
माता के भाई का नाम दर्ज किया गया है
तथा प्रार्थिया के माता के भाई की अर्थात
चौथमल जी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी
अर्थात अप्रार्थी नं० 1 के नाम पर दर्ज कर
दी है। प्रार्थिया की माँ की प्रार्थिया एकमात्र
वारिस है, तथा वादग्रस्त भूमि के ½ हिस्से पर
प्रार्थिया काबिज चली आ रही है। वादग्रस्त
भूमि एकमात्र अप्रार्थीयां के नाम पर दर्ज

दण्ड मजिस्ट्रेट
रामगंजमंडी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

रहने से इसका खुर्द-बुर्द होने का खतरा है। अतः तफसिला वाद, वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थिया को काबिज रहने दिया जावे, तथा उक्त भूमि को रहन बेचान और खुर्द बुर्द नहीं किये जाने का स्थगनादेश प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी नम्बर-1 का कथन है, कि वादग्रस्त भूमि प्रतिपक्षी नम्बर 1 के पति से प्राप्त हुई है। उक्त वादग्रस्त भूमि प्रतिपक्षी नम्बर 1 के नाम पर दर्ज रिकार्ड है। वादग्रस्त समस्त भूमि पर प्रतिपक्षी नम्बर 1 ही काबिज चली आ रही है। प्रार्थिया प्रतिपक्षी नम्बर 1 के पुत्र या पुत्री नहीं होने का नाजायज फायदा उठा कर भूमि हड़पना चाहती है, इस हेतु ही यह प्रा० पत्र एवं वाद पेश किया है। प्रार्थिया रावतभाटा रहती है, भूमि पर प्रार्थिया का कोई कब्जा नहीं है। अप्रार्थी नम्बर 1 विधवा महिला है, इस कारण प्रार्थिया दबाव डालकर भूमि हड़पना चाहती है। प्रार्थिया न तो अप्रार्थी की सेवा सुश्रुषा करती है, और न ही अप्रार्थी-1 के पास रहती है। भूमि न तो प्रार्थिया के नाम है, और न ही उसका कब्जा है। अतः प्रा० पत्र को खारिज फरमाया जावे।

रिपीट में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थिया का कथन है, कि प्रार्थिया द्वारा तीन गवाहों के शपथ-पत्र पेश किये है, कि वादग्रस्त भूमि

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
रामगंजमंडी

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पर प्रार्थिया का कब्जा है, तथा पूर्व में भूमि की उपज का आधा हिस्सा प्रार्थिया को अप्रार्थी द्वारा दिया जाता रहा था, परन्तु कुछ समय से अप्रार्थी उपज का हिस्सा नहीं देना चाहती। भूमि पर प्रार्थियां का कब्जा है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। इसके जवाब में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी का कथन है कि प्रा० पत्र के साथ पर शपथ पत्रों का औचित्य नहीं है। हम भी इस प्रकार के शपथ पत्र पेश कर सकते हैं। शपथ पत्रों के आधार पर कब्जा तय नहीं किया जा सकता। प्रार्थिया रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ में रहती है। कब्जा नहीं है। प्रार्थिया द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे विवादित भूमि पर प्रार्थियां का कब्जा प्रमाणित होता हो। अतः प्रा० पत्र खारिज किया जावे। बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन अवलोकन, मनन किया गया। प्रार्थियां द्वारा प्रा० पत्र में अंकित तथ्य, वांछित अनुतोष, अप्रार्थी नम्बर 1 के जवाब के तथ्य, वांछित अनुतोषादि एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आदि पर R.T.Act 1955 की धारा 212 के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचार किया गया। हस्ब नकल जमाबंदी ग्राम आलाई खसरा नं. 819 रकबा 2.09 है, चौथमल पुत्र माधो अहीर के नाम पर दर्ज रिकार्ड है। नामा० नं० 491 दि 16.7.17 से उक्त भूमि के उसकी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्नी के नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया है। चौथमल एवं अप्रार्थी नम्बर 1 के कोई पुत्र-पुत्री नहीं होना जाहिर आता है। इसी प्रकार हाल जमाबंदी ग्राम देवकीकला सं० 2072-75 खाता नं० 79 खसरा नम्बर 12, 208, 209, 570, 573, 926 व 936 किता 7 रकबा 3.48 है० श्री चौथमल पुत्र माधो अहीर के ही नाम पर दर्ज है। तथा नामा० नं० 347 दि० 25.6.15 से खस० नं० 926 की 0.52 है० व 936 की 0.10 है० किता 2 रकबा 0.62 है. भूमि बर्ते बेचान जड़ाव बाई प० कन्हैयालाल गुर्जर के नाम दर्ज की गई। हाल जमाबंदी खतौनी साबिक खस० नं० 606 ता० 819 ग्राम अजाई माधु S/o पाला अहीर के नाम पर दर्ज थी, जो हालिया रिकार्ड में अप्रार्थी नम्बर 1 के नाम पर दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम देवकीकला की भूमि खस० नं. 12, 208, 209, 570, 573 किता 5 अप्रार्थी नम्बर 1 के नाम पर दर्ज है। प्रार्थियां का वादग्रस्त उक्त भूमियों पर नाम दर्ज नहीं है। अतः हाल रिकार्ड प्रार्थियां के बनिस्बत अप्रार्थी नम्बर 1 के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकट जाहिर आता है। विवादित भूमि पर दोनों ही पक्ष अपना-अपना कब्जा होने का दावा करते हैं। वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी नम्बर 1 के नाम पर दर्ज है। प्रार्थिया द्वारा ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया	

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
रामगंजमंडी

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जिससे यह प्रमाणित होता हो कि विवादित भूमि पर उसका कब्जा है। अप्रार्थिया वादगत भूमि की अभिलिखित खातेदार प्रमाणित है, तथा वह मृतक पूर्व खातेदार चौथमल की विधवा है, और साथ ही साथ उसके कोई जामन्दा पुत्र पुत्री नहीं होना जाहिर है अतः वह R.T. Act. 1955 की धारा 46 की तारीफ में आती है।	
	विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि जब तक विपरीत तथ्य प्रमाणित नहीं हो, अर्थात जब तक विपरीत तथ्य प्रस्तुत नहीं कर दिया जावे, तब तक भूमि पर उसके अभिलिखित खातेदार का ही कब्जा माना जाता है।	
	अप्रार्थिया नम्बर-1 विधवा महिला है, और उसकी भूमि पर भौतिक कब्जा भले ही किसी का हो, कब्जा खातेदार होने के कारण धारा 46 के प्रावधानों के अनुसार उसी का माना जावेगा। यदि प्रार्थिया के कथनानुसार प्रार्थिया का 1/2 हिस्से पर कब्जा नहीं माना जा सकता। जहाँ तक बात तीन शपथ कर्ताओं के कथनों की है, तो बिना जिरह उनके द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्रों को या उसके अवयव को स्वीकार किया जाना विधि-संगत नहीं होगा। शपथ-पत्रों पर प्रश्न बाद में ही आवश्यक कार्यवाही जिरह आदि संभव है।	

Sp
मजिस्ट्रेट
जमंडी

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	यदि प्रार्थियां के कथन भाव से ही विवादित भूमि के संबंध में आदेश जारी किया जाता है, तो इससे प्रार्थिया के बनिस्बत अप्रार्थियां नम्बर-1 को ही असुविधा होगी। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थिया के बजाय अप्रार्थी-1 के पक्ष में प्रबल है। अप्रार्थी नम्बर-1 विवादित भूमि की अभिलिखित खातेदार है। तथा विवादित भूमि उसे उसके शौहर के बाद वकात मिली है। प्रार्थिया न तो विवादित भूमि की अभिलिखित खातेदार है, और न ही उसका विवादित भूमि पर सेटल्ड पजेशन है। यदि प्रार्थियां के कथनाधार पर ही अप्रार्थी-1 को वारसात भूमि पर जरिये आदेश प्रतिबंधित किया जाता है तो इससे अप्रार्थी-1 को ऐसी क्षति होना संभाव्य है, जिसका मुद्रा के रूप में आंकलन नहीं किया जा सकता। अतः अपरिमित क्षति होना भी अप्रार्थी नं० 1 के पक्ष में है। प्रार्थिया को या अप्रार्थी नम्बर 1 को विवादित भूमि पर क्या स्वत्व प्राप्त है? या होने चाहिये इसका विनिश्चय दावे में सम्यक साक्ष्य तथा समुचित परीक्षणोपरान्त मूलवाद में विधि अनुसार मेरिट पर होना	

हस्ता.
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
रामगंजमंडी

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है। न कि प्रार्थीया के कथनाधार पर या अप्रार्थियों-1 के जवाब के आधार पर। प्रार्थियां द्वारा वाद में वर्णित भूमि पैतृक है या नहीं? प्रार्थियां की माता फूलाबाई मृतक चौथमल की सगी बहिन थी या नहीं? प्रार्थियां फूलाबाई की पुत्री है या नहीं? यदि इन समस्त प्रश्नों के उत्तर प्रार्थियां के पक्ष में सकारात्मक भी हो तो प्रार्थियां की माता को या माता द्वारा प्रार्थियां को वादग्रस्त भूमि के स्वत्व से विधि के प्रावधानों अनुसार पृथक तो नहीं कर दिया गया। इन समस्त तथ्यों पर प्रा० पत्र के स्तर पर विचार किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर सम्यक विचारोपरान्त हम धारा 212 की शर्त भय पर वाद परीक्षणार्थ प्रा० पत्र को अस्वीकार किया जाना उचित पाते हैं। अतः प्रा० पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद मि०नं० 274/17 के साथ में संलग्न रहे। निर्णय आज दि० को खुले इजलास सुनाया। (हस्ताक्षर) 22/2/2019 उपखण्ड मजिस्ट्रेट रामगंजमंडी	

Scanned by CamScanner